(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का प्रस्तावना अध्याय अपने आप में यह दर्शाता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली विविध कमियों और शिक्षा को प्राप्त करने की पहुंच, कोटि, सांत्रा उपयोगिता और वित्तीय परिव्यय से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त है। नीति में अन्य बातों के साथ साथ यह निर्धारित किया गया है कि मनुष्य स्वयं एक बेशकीमती संपदा और अमूल्य राष्ट्रीय ससाधन है जिसकी सावधानी और गतिशीलता के साथ साथ समर्पण की भावना से परवरिश, पोषण और विकसित करने की आवश्यकता है।

नयी शिक्षा नीति के अनुसार, विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे में सुपरिभाषित योग्यताओं और जिज्ञासा की भावना, रचनात्मकता, उद्देश्यात्मकता, प्रश्न पूछने की हिम्मत और सौदर्य उपासक सवेदनशीलता जसे मूल्यों को विकसित किया जाए।

नयी शिक्षा की नीति को कार्यान्वित करने के लिए एक ब्यौरेवार कार्रवाई योजना तैयार की गयी थी और संसद द्वारा अगस्त, 1986 में इसका अनुमोदन किया गया था। इस कार्रवाई योजना में शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया में उपयुक्त परिवतनों, गणित शिक्षा और विज्ञान शिक्षा में सुधार सहित विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की पुन. संरचना और पुनर्गठन के सभी पहलुओं को शामिल किया जा रहा है। शिक्षा के लिए नयी अवस्थापना की व्यवस्था करने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई योजना के अंतर्गत अनेक उपाय आरंभ किए गए।

Central design centre, Lucknow

3305. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Central Design Centre, Lucknow was established by Government in 1957 to make recommendations from time to time, for the promotion of Indian handicrafts and for the development and preservation of traditional designs;

(b) what recommendations have been made by the institution;

(c) what is the total amount of money spent on this institution yearwise, for the last three years; and

(d) what is the total number of employees in this institution at present and the details of their posts, qualifications and salaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) to (d) The relevant information is being collected by the concerned Department and will be laid on the Table of the House.

Promotion for the post of joint commissioner K.V.S.

3306. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any Departmental Promotion Committee met in July|August, 1988 to select a promottee for the post of Joint Commissioner (Academic) in Kendriya Vidyalaya Sangathan;

(b) if so, whether the said DPC recommended and cleared some names for the same;

(c) if so, whether the departmental officer recommended by the DPC has since been offered an appointment to the said post; and